<u>आर टी आई मामला</u>

<u>स्पीड पोस्ट द्वारा</u>

सं. 18012/01/2014-के.I

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

(जम्मू एवं कश्मीर प्रभाग)

नोर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक ~~06~~ 09 जून, 2014

सेवा में

श्री आनंद कमल
स्टेशन रोड, सुल्तानगंज,
जिला: भागलपुर-813213, बिहार

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदन।

महोदय,

कृपया अपने दिनांक 08.05.2014 के आवेदन का अवलोकन करें जिसमें अनुच्छेद 370 के बारे में सूचना मांगी गई है। उक्त आवेदन इस प्रभाग में दिनांक 03.06.2014 को प्राप्त हुआ है।

02. इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा मांगी गई सूचना भारत के संविधान में उपलब्ध है जो पहले से ही सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध है।

3. तथापि, आपकी सूचना के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 की विषय-वस्तु नीचे प्रस्तुत है:

"(1) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी-

(क) अनुच्छेद 238 के उपबंध जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में लागू नहीं होंगे;

(ख) उक्त राज्य के लिए विधि बनाने की संसद की शक्ति-

- *i. संघ सूची और समवर्ती सूची के उन विषयों तक सीमित होगी जिनको राष्ट्रपति, उस राज्य की सरकार से परामर्श करके, उन विषयों के तत्स्थानी विषय घोषित कर दे जो भारत डोमिनियन में उस राज्य के अधिमिलन को शासित करने वाले अधिमिलन पत्र में ऐसे विषयों के रूप में विनिर्दिष्ट हैं जिनके संबंध में डोमिनियन विधान-मंडल उस राज्य के लिए विधि बना सकता है; और*
- *ii. उक्त सूचियों के उन अन्य विषयों तक सीमित होगी जो राष्ट्रपति, उस राज्य की सरकार की सहमति से, आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे।*

स्पष्टीकरण- इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए उस राज्य की सरकार से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे राष्ट्रपति से, जम्मू-कश्मीर के महाराजा की 5 मार्च, 1948 की उद्घोषणा के अधीन तत्समय पदस्थ मंत्रि-परिषद की सलाह पर कार्य करने वाले जम्मू-कश्मीर के महाराजा के रूप में तत्समय मान्यता प्राप्त थी;

(ग) अनुच्छेद 1 और इस अनुच्छेद के उपबंध उस राज्य के संबंध में लागू होंगे;

(घ) इस संविधान के ऐसे अन्य उपबंध ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए, जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, उस राज्य के संबंध में लागू होंगे:

परंतु ऐसा कोई आदेश जो उपखंड (ख) के पैरा (i) में निर्दिष्ट राज्य के अधिमिलन पत्र में विनिर्दिष्ट विषयों से संबंधित है, उस राज्य की सरकार से परामर्श करके ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं:

परंतु यह और कि ऐसा कोई आदेश जो अंतिम पूर्ववर्ती परंतुक में निर्दिष्ट विषयों से भिन्न विषयों से संबंधित है, उस सरकार की सहमति से ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

(1) यदि खंड (1) के उपखंड (ख) के पैरा (ii) में या उस खंड के उपखंड (घ) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट उस राज्य की सरकार की सहमति, उस राज्य का संविधान बनाने के प्रयोजन के लिए संविधान सभा के बुलाए जाने से पहले दी जाए तो उसे ऐसी संविधान सभा के समक्ष ऐसे विनिश्चय के लिए रखा जाएगा जो वह उस पर करे।

(2) इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा घोषणा कर सकेगा कि यह अनुच्छेद प्रवर्तन में नहीं रहेगा या ऐसे अपवादों और उपांतरणों सहित ही और ऐसी तारीख से, प्रवर्तन में रहेगा, जो वह विनिर्दिष्ट करे:

परंतु राष्ट्रपति द्वारा ऐसी अधिसूचना निकाले जाने से पहले खंड (2) में निर्दिष्ट उस राज्य की संविधान सभा की सिफारिश आवश्यक होगी।

तथापि, आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का सटीक उत्तर इस अनुभाग के रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है।

04. इस मामले में अपील प्राधिकारी श्री आर के श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव (गृह मंत्रालय), कक्ष सं. 127 ए, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली हैं।

(signature) 26/6/14

(एस. सी. करोल)
निदेशक (के-III) एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
टेलीफैक्स: 011-23093301

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:

1. अवर सचिव (आर टी आई), गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. अनुभाग अधिकारी, आई टी सैल, को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार उक्त आवेदन तथा इसके उत्तर को वेबसाइट पर लोड करने के लिए।

दिनांक 24/05/2014.

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/~~श्रीमती/सुश्री~~ आनन्द कमल का आवेदन।

****

अधोहस्ताक्षरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मुहैया कराने के संबंध में श्री/~~श्रीमती/सुश्री~~ आनन्द कमल के दिनांक 08/05/2014 के आवेदन (इस मंत्रालय में ... से अंतरण द्वारा दिनांक 16/05/2014 को प्राप्त) को कश्मीर प्रभाग को अग्रेषित करने का निदेश हुआ है, क्योंकि मांगी गई सूचना उक्त प्रभाग के क्रियाकलापों से संबंधित है/निकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को अग्रेषित/अंतरित कर दिया जाये।

2: आवेदक ने 10/- रु. का निर्धारित शुल्क दिनांक 20/05/2014 की रसीद सं. 29786 के तहत जमा कर दिया है (संलग्न)/ ~~नहीं किया है क्योंकि वह बी पी एल श्रेणी से संबंध रखता/रखती है।~~

<u>संलग्नक :</u> यथोपरि

एस. सामंत
(एस. सामंत)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

निदेशक (कश्मीर-III),
गृह मंत्रालय
नॉर्थ ब्लॉक
नई दिल्ली।

प्रति सूचनार्थ प्रेषित :

श्री/~~श्रीमती/सुश्री~~ आनन्द कमल,
स्टेशन रोड, सुलतानगंज
जिला भागलपुर - 813213
बिहार।

(उनसे अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए ऊपरवर्णित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।)

सूचना का अधिकार अधिनियम –2006

प्रपत्र 'क'

नियम (3) (1) देखें।

सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र

आई.डी.सं............................... (कार्यालय प्रयोग के लिए) 6345/14

सेवा में,

लोक सूचना पदाधिकारी - 212, गृह मंत्रालय - 19 सफदरजंग रोड, नई दिल्ली - 110011
(विभाग/कार्यालय)

(1) आवेदक का नाम-- आनन्द कमल (अधिवक्ता)

(2) वर्त्तमान पत्राचार का पूरा पता- आनन्द कमल, मो०+पो०-स्टेशन रोड, सुल्तानगंज (आदर्श महाविद्यालय के सामने) जिला-भागलपुर बिहार - 813213

(3) मांगी गई सूचना का ब्यौरा (संक्षेप में)-

महाशय, भारत के संविधान में निहित 370 धारा जम्मू-कश्मीर में कब तक रहेगी, क्या इसे जम्मू-कश्मीर में जनमत या विधानसभा हटाया जा सकता है या भारत के लोक सभा एवं राज्यसभा के पूर्ण बहुमत द्वारा इसे निरस्त किया जा सकता है या यहाँ की जनता की जनमत द्वारा इसे हटाया जा सकता है। इन तीनों के साथ-साथ उन सभी कारणों (उपायों) को बताएँ जिससे 370 धारा जम्मू कश्मीर से निरस्त किया जा सकता है।

इन सभी का जवाब हिन्दी में दे।

RTI

(4) मैं एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मेरी पूरी जानकारी में मांगी गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 एवं 9 के अंतर्गत मुक्त नहीं है। यह आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित है।

D ए (K)

(5) (क) मैंने दस (10=00) रुपये (शब्दों में) दस रुपया तिथि .... को रसीद सं0- .... जो विभाग कार्यालय में भुगतान किया है।

(ख) मैं डिमांड ड्राफ्ट/भुगतान देय/ आई.पी.ओ संख्या 73C935430 (43C935427=5) दिनांक 2/4/14 जो सह गृह मंत्रालय लोक सूचना पदाधिकारी के पक्ष में सुल्तानगंज डाकघर/बैंक द्वारा जारी फीस है, फीस के रूप में संलग्न है।

(ग) मैंने .... रुपये का नाम जुडिशियल स्टाम्प इस आवेदन में लगा दिया है। X

(घ) मैं गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार का हूँ। मेरा कार्ड/वांछित प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न है। X

स्थान:- सुल्तानगंज

दिनांक:- 8/5/14.

आवेदक का हस्ताक्षर- Anand Kamal

दूरभाष/मो0 नं0- 9234216651

आवेदक का पत्राचार का पूरा पता- आनन्द कमल (अधिवक्ता) मो०+पो०-स्टेशन रोड (आदर्श महाविद्यालय के सामने) जिला-भागलपुर (बिहार) - 813213

I.P.O = 73C935430=5=0
73C935427=5=0
10=0.